हिन्दुस्तान

रेरा के सख्त नियमों से फ्लैटों की रजिस्ट्री में कमी

पटना | वरीय संवाददाता

रेरा के नियम-कानून सख्त होते ही बिल्डरों द्वारा विकसित फ्लैट और प्लॉट की रजिस्ट्री पर ब्रेक लग गया है। इसका असर राजस्व पर भी पड़ा है। हालत यह है कि निबंधन एक चौथाई रह गया है।

पटना अवर निबंधक सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि सितंबर में निबंधन में कमी आयी है। पहले रोज 70 से 80 के बीच कागजात आते थे। इनमें फ्लैटों के निबंधन के 10 से 12 होते थे। एक फ्लैट पर चार लाख तक राजस्व मिलती है। पटना और आसपास में जमीन के बड़े हिस्से को विकसित कर इसे प्लॉटों में बांटा जाता है। इन प्लॉटो के 25 कागजात रोज आते रहे थे, जो बंद है।

सुस्ती

- राजस्व लक्ष्य को पूरा करने में हांफ रहा रजिस्ट्री कार्यालय
- निबंधन कार्यालय को इस माह मात्र 4.86 करोड़ रुपये ही आय

लक्ष्य से काफी पीछे : सितंबर में पटना सदर को 26 करोड़ रुपये राजस्व उगाही का लक्ष्य दिया गया था। 12 दिन बीत जाने के बावजूद मात्र 4.86 करोड़ रुपये ही आय हुई है। अवर निबंधक कहते हैं कि यह हाल रहा तो इस महीने लक्ष्य का पचास प्रतिशत भी राजस्व नहीं प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि अगस्त तक पटना सदर सौ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर रहा था।